

कुरुबा समुदाय: कर्नाटक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक में कुरुबा समुदाय द्वारा एक वशिल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में समुदाय के लोगों द्वारा राज्य सरकार से मांग की गई कर्मसूची को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को अपनी संस्तुतिभेजे।

प्रमुख बाढ़ि:

पृष्ठभूमि:

- देश की स्वतंत्रता के बाद से ही कुरुबा समुदाय को एसटी का दरजा प्राप्त था। परंतु वर्ष 1977 में पछिड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टस एल.जी. हावनूर ने कुरुबा समुदाय को एसटी सूची से 'अतिपिछिड़ा वर्ग' की श्रेणी शामिल कर दिया।
- हालाँकि आयोग ने इसमें एक क्षेत्र वर्षीय की शर्त भी जोड़ दी और कहा कि बीदर, यादगीर, कालाबुरागी तथा मदकिरी क्षेत्र में कुरुबा समानारथी शब्द के साथ रहने वाले लोग एसटी श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं।

कुरुबा समुदाय का संक्षिप्त परिचय:

- कर्नाटक का कुरुबा समुदाय एक पारंपरिक भेड़ पालक समुदाय है।
- वर्तमान में कुरुबा समुदाय की जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का 9.3% है और ये पछिड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं।
- कुरुबा कर्नाटक में लगियत, वोक्कालगि और मुसलमानों के बाद चौथी सबसे बड़ी जाति है।
- अन्य राज्यों में कुरुबा को अलग-अलग नामों से जाना जाता है - जैसे महाराष्ट्र में धनगर, गुजरात में रबारी या राईका, राजस्थान में देवासी और हरयाणा में गडरथि।

संबंधित मुद्दे:

- लगियत समुदाय की मांगें: तीन वर्ष पहले कर्नाटक में लगियत समुदाय ने एक अलग अल्पसंख्यक धरम के रूप में मान्यता दिये जाने की मांग की थी।
 - लगियत उप-पंथ पंचमासाली से जुड़े लोगों ने भी अपने समुदाय को पछिड़ा वर्ग की 2A श्रेणी में शामिल किये जाने की मांग की है, जिसके तहत पछिड़ी जातियों को वर्तमान में 15% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- न्यायमूरती एच.एन. नागमोहन दास आयोग:
 - न्यायमूरती एच.एन. नागमोहन दास आयोग का गठन एससी समुदाय के लिये मौजूदा आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% करने और एसटी के लिये इस 3% से 7% तक किये जाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिये किया गया था जिससे उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1992 के नियमों के अनुसार, यह कुल 50% आरक्षण कोटे से अधिक न होने पाए।
 - अगर कुरुबा को उनकी मांग के अनुसार एसटी घोषित किया जाता है, तो एसटी कोटे को भी आनुपातिक रूप से बढ़ाना होगा।
- चुनौतियाँ:
 - सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कर्नाटक राज्य पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% सीमा तक पहुँच चुका है और इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धिएक बड़ी चुनौती होगी।

कर्नाटक में वर्तमान आरक्षण कोटा:

- कर्नाटक ने सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 1992 के आदेश का पालन करते हुए आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया है, इसके तहत पछिड़े वर्गों के लिये 32% आरक्षण निर्धारित है, जिनमें मुसलमि, ईसाई और जैन शामिल हैं, एससी के लिये 15% और एसटी के लिये 3% आरक्षण निर्धारित है।
- इस आरक्षण कोटे को आगे कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है: श्रेणी 1 (4%), श्रेणी 2 ए (15%), श्रेणी 2 बी (4%), श्रेणी 3 ए (4%), श्रेणी 3 बी (5%), एससी (15%) और एसटी (3%)।

CURRENT MATRIX IN KARNATAKA

Source: Karnataka.govt

● SC: 15%	● 2B: 4% (Muslims and other minorities)
● ST: 3%	● 3A: 4% (12 castes, including Vokkaligas, Bunts)
● Category 1: 4% (75 castes, including Gollas, Uppars)	● 3B: 5% (Lingayats and 42 sub-castes)
● 2A: 15% (102 castes, including Kurubas, Idigas, Madiwals)	

अनुसूचति जनजातिः

परचियः

- **अनुच्छेद 366 (25):** अनुसूचति जनजातियों का अरथ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हस्सों या समूहों से है, जनिहें भारतीय संवधिन के प्रयोगन के लिये अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचति जनजातभाना जाता है।"
 - अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचति जनजातियाँ वे समुदाय हैं जनिहें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद द्वारा वधियी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया है।
 - अनुसूचति जनजातियों की सूची राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित होती है, ऐसे में एक राज्य में अनुसूचति जनजाति के रूप में घोषित एक समुदाय को दूसरे राज्य में भी यह दरजा प्राप्त होना अनिवार्य नहीं है।

मौलिकि वशिष्टताएँ:

- कसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में नामति कर्या जाने के मानदंडों के संदरभ में संवधिन में कोई वर्णिष्य जानकारी नहीं दी गई है। हालाँकि अनुसूचित जनजाति समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करने वाले कुछ लक्षण नमिनलखिति हैं:
 - पछिड़ापन/आदमिता (Primitiveness)
 - भौगोलिक अलगाव (Geographical Isolation)
 - संकोची स्वभाव (Shyness)
 - सामाजिक, शैक्षणिक और आरथिक पछिड़ापन।

वशिष्ठ रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह

(Particularly Vulnerable Tribal Groups -PVTG)

- देश में कुछ ऐसी जनजातियाँ (कुल जन्मात 75) हैं जनिहें 'विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups -PVTG) के रूप में जाना जाता है, इन समूहों को (i) पूरव-कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी, (ii) स्थरि या घटती जनसंख्या, (iii) बेहद कम साक्षरता और (iv) आरथिक निरिवाह स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

सूरतः द हद्दि